"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2015—चैत्र 6, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2015

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1-48/2001/एक-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 28-02-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनिल कुमार साहू, भा.व.से. (1990) को उनसे कनिष्ठ अधिकारी के पदोन्नति दिनांक 24-09-2013 से "कार्य नहीं वेतन नहीं के आधार पर" वन संरक्षक से मुख्य वन संरक्षक, वेतनमान PB:4 37400-67000 + ग्रेड वेतन रुपये 10,000 में उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से पदोन्नत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक-एफ-7-11/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे, आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 08-04-2015 से 25-04-2015 तक कुल 18 दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही दिनांक 26-04-2015 के शासकीय अवकाश के उपभोग की अनुमति तथा उक्त अर्जित अवकाश में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक/11019/06/2001-AIS-III दिनांक 05-12-2007 में निहित शर्तों के अनुसार स्वयं के व्यय पर यूरोप (यूनाईटेड किंगडम, फ्रांस, आस्ट्रिया एवं स्विटजरलैण्ड) विदेश प्रवास की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री हिमांशु गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री हिमांशु गुप्ता के उक्त अवकाश अवधि में आयुक्त, सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, रायपुर (छ.ग.) के पद का चालू प्रभार श्री संतोष मिश्रा, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कौशल उन्नयन मिशन, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक एफ-7-27/2013/सात-1.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा-2 की उप धारा (1) के खण्ड (य-4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित निम्नलिखित राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

तालिका

स. क्र.	राजस्व ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	रा.नि.मं. का नाम	तहसील	जिला	नगरीय क्षेत्र का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मंदिर हसौद	16	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	संपूर्ण राजस्व ग्राम
2.	कुहेरा	19	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
3.	कोटनी	20	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
4.	तांदुल	20	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
5.	पलौद	21	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
6.	उमरिया	23	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
7.	परसदा	25	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
8.	बेन्द्री	18	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
9.	परसट्ठी	18	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
10.	निमोरा	19	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
11.	केन्द्री	21	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
12.	झांकी	21	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	भेलवाडीह	22	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	संपूर्ण राजस्व ग्राम
14.	पचेड़ा	26	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
15.	कुरूं	27	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
16.	चेरिया	28	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
17.	बंजारी	28	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
18.	तेन्दुआ	28	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
19.	पौंता	28	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
20.	सेरीखेड़ी	42	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—
21.	नकटी	42	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—
22.	धरमपुरा	54	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—
23.	टेमरी	54	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—
24.	बनरसी	55	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—

No. F 7-27/2013/Seven-1.— In exercise of powers conferred by clause (z-4) of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, declares the following revenue village mentioned in column (2) of the table below as urban area, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Revenue Village (2)	Patwari halka No. (3)	Name of Revenue Inspector circle (4)	Tahsil (5)	District (6)	Extension of Urban Area (7)
1.	Mandirhasaud	16	Mandirhasaud	Arang	Raipur	All Revenue Village
2.	Kuhera	19	Mandirhasaud	Arang	Raipur	—do—
3.	Kotni	20	Mandirhasaud	Arang	Raipur	—do—
4.	Tandul	20	Mandirhasaud	Arang	Raipur	—do—
5.	Palaud	21	Mandirhasaud	Arang	Raipur	—do—
6.	Umariya	23	Mandirhasaud	Arang	Raipur	—do—
7.	Parsada	25	Mandirhasaud	Arang	Raipur	—do—
8.	Bendree	18	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	—do—
9.	Parastthi	18	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	—do—
10.	Nimora	19	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	—do—
11.	Kendri	21	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	—do—
12.	Jhanki	21	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	—do—
13.	Bhelwadih	22	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	—do—
14.	Pacheda	26	Navapara	Abhanpur	Raipur	—do—
15.	Kurru	27	Navapara	Abhanpur	Raipur	—do—
16.	Cheriya	28	Navapara	Abhanpur	Raipur	—do—
17.	Banjari	28	Navapara	Abhanpur	Raipur	—do—
18.	Tendua	28	Navapara	Abhanpur	Raipur	—do—
19.	Paunta	28	Navapara	Abhanpur	Raipur	—do—
20.	Serikhedi	42	Raipur-1	Raipur	Raipur	—do—
21.	Nakti	42	Raipur-1	Raipur	Raipur	—do—
22.	Dharampura	54	Raipur-1	Raipur	Raipur	—do—
23.	Temari	54	Raipur-1	Raipur	Raipur	—do—
24.	Banarsi	55	Raipur-1	Raipur	Raipur	—do—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रकांत उइके, संयुक्त सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2015

क्रमांक/एफ 19-02/2012/25-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का निम्नानुसार गठन करता है :—

क्र.	नाम	पद
1.	श्रीमती मोहिसिना किदवई राज्य सभा सदस्य 80 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
2.	श्रीमती हमीदा नाजो सिद्दीकी, पार्षद वार्ड क्रमांक 23 कवर्धा	सदस्य
3.	श्री इम्तियाज अंसारी, पार्षद, जशपुरनगर	सदस्य
4.	श्री बब्बू भाई, पार्षद वार्ड क्रमांक-30 भिलाई जिला दुर्ग	सदस्य
5.	श्री मौलाना मुजफ्फर हुसैन, संजय नगर, रायपुर	सदस्य
6.	श्री हफीज कारी मौलाना रिफत अली, राजातालाब, रायपुर	सदस्य
7.	श्री मौलाना जहीरूल हसन, शिया धर्मविद्धान, मोमिन पारा रायपुर	सदस्य
8.	श्री मोहम्मद सलीम, भाटापारा छ.ग. मुस्लिम समाज उपाध्यक्ष रजिस्टर्ड	सदस्य
9.	श्री शैफूद्दीन बबलू, अनवर रिजुविया तालिम कमेटी अध्यक्ष बिलासपुर	सदस्य
10.	श्रीमती ताहीरा जी, अल्पसंख्यक विकास समिति अध्यक्ष, राजनांदगांव	सदस्य
11.	श्री शेख सिद्दक, जिला अध्यक्ष छ.ग. मुस्लिम समाज द. बस्तर ना.स. दरगाह कमेटी, जगदलपुर.	सदस्य
12.	अध्यक्ष, राज्य वक्फ बोर्ड	पदेन सदस्य
13.	सचिव, राज्य हज समिति, रायपुर	पदेन सदस्य

2. हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 18 (1) (i) एवं (b) के अध्याधीन क्रमशः राज्य के मुस्लिम संसद एवं मुस्लिम विधान सभा सदस्यों को नामांकित किया जाना प्रस्तावित है तथा धारा 22(2) के अध्याधीन समिति के पदमुक्त सदस्यों को दो बार से अधिक नामांकित नहीं किये जाने का प्रावधान है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में उपर्युक्त नामांकित सदस्य क्रमांक-1 के अतिरिक्त यथानुसार अन्य मुस्लिम संसद सदस्य नहीं होने के कारण सदस्य क्रमांक-1 का कार्यकाल दिनांक 14 मार्च 2015 को राज्य हज समिति का तृतीय कार्यकाल पूर्ण करने के बावजूद अन्य विकल्प नहीं होने के कारण नामांकित किया जाता है.

3. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 03 वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक/241/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना	292/2	0.061	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर.	कचना बलौदाबाजार मार्ग निर्माण.
			293/3	0.043		
			293/1	0.036		
		योग	**03**	**0.140**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/260/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	सासाहोली प.ह.नं. 08	334/2	0.031	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर, (छ.ग.)	तिल्दा सिमगा मार्ग (एस.एच. 57) पर मुम्बई हावडा रेल्वे लाईन के कि.मी. 790/4-6 पर तिल्दा के पास रेल्वे क्रासिंग पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण.
			334/12, 334/13	0.013		
			334/16, 334/17	0.030		
			334/15	0.014		
			325	0.413		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			334/1, 334/5	0.194		
			334/11	0.199		
			334/6	0.388		
			324/3	0.101		
		योग	**12**	**1.383**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/261/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	शंकर नगर	159/2	25.10	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर, (छ.ग.)	शंकर नगर व्ही.आई.पी. कालोनी (रेल्वे क्रासिंग आर.व्ही-1 नया) पर रेल्वे क्रासिंग ब्रिज निर्माण हेतु.
			160/क	64.40		
			161/1	33.50		
			161/2	43.20		
			162/3	150.00		
			162/1	87.50		
			162/5	275.00		
			163/2	120.00		
			207/24	110.40		
			169/16	39.65		
			207/6	115.50		
			205/4	179.55		
			199/1	23.80		
			246/1	90.00		
			246/2	96.00		
			245/3	90.00		
			243	198.00		
			230/3	126.00		
			228, 229	102.00		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			207/18	153.00		
			211/2	23.00		
			211/1	94.86		
			213/1-4	5.50		
			212	66.00		
			210	70.00		
			207/22	102.85		
			441/22	165.37		
			436/1	73.50		
			435	101.53		
			418/3	288.10		
			41/8	48.76		
			41/7	73.00		
			116	53.35		
			117/1	48.35		
			118	50.41		
			119	148.70		
			117/8	54.90		
		योग	**37**	**3590.78**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/262/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रैता	92, 93	0.056	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर, (छ.ग.)	धरसींवा-कपसदा-रैता-तिल्दा मार्ग के कि.मी. 5/4 पर कोल्हान नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण योजना हेतु.
			94/3	0.283		
			94/2	0.101		
			61/2	0.121		
			91/2	0.147		
			94/1	0.620		
		योग	**6**	**1.328**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/263/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कपसदा प.ह.नं. 17	369/1	0.322	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर, (छ.ग.)	धरसीवां-कपसदा-रैता-तिल्दा मार्ग के कि.मी. 5/4 पर कोल्हान नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण योजना हेतु.
			369/10	0.159		
			369/24	0.033		
		योग	**3**	**0.514**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/264/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	छांटा	42	0.03	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	नवापारा-छांटा-कठिया मार्ग चौड़ीकरण निर्माण हेतु.
			583	0.03		
			56	0.02		
			571	0.02		
			57	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			58	0.01		
			59	0.02		
			60	0.01		
			61	0.04		
			549/1	0.01		
			568	0.02		
			372	0.01		
			373/2	0.01		
			374	0.01		
			932	0.01		
			375	0.01		
			376	0.01		
			377	0.02		
			379	0.01		
			380	0.01		
			381	0.02		
			450	0.01		
			451	0.01		
			452/1	0.01		
			452/2	0.01		
			453	0.01		
			455	0.01		
			458	0.01		
			931/1	0.01		
			461	0.01		
			462	0.01		
			463	0.01		
			464	0.01		
			553	0.01		
			473	0.01		
			481	0.01		
			931/2	0.01		
			475	0.01		
			476	0.01		
			949	0.02		
			480	0.01		
			483	0.01		
			484	0.01		
			491	0.01		
			493	0.01		
			494	0.01		
			507	0.01		
			933	0.01		
			524	0.02		
			920	0.01		
			931/3	0.01		
			538	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			539	0.01		
			540	0.01		
			547	0.01		
			549/2	0.01		
			554	0.01		
			551	0.01		
			569	0.01		
			570	0.01		
			950	0.02		
			934	0.01		
			951	0.06		
		योग	**63**	**0.84**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/265/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	भोथीडीह प.ह.नं. 33	2	0.040	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	पोंड-भुरका-तामासिवनी मार्ग निर्माण.
			3	0.030		
			4	0.030		
			5	0.050		
			6	0.070		
			9	0.020		
			11	0.040		
			14	0.040		
			15	0.030		
			12	0.030		
			13	0.030		
			16/2	0.060		
		योग	**12**	**0.047**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/266/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तुलसी प.ह.नं. 41	1364	0.247	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)	जोरा सड्डू धनेली बायपास मार्ग निर्माण.
		योग	**1**	**0.247**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/267/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	पौड प.ह.नं. 36	1606	0.130	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग अभनपुर.	पौड भुरका तामासिवनी मार्ग निर्माण.
			1607	0.150		
			1610	0.040		
			1611/1	0.060		
			1611/2	0.060		
			1612	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1613	0.020		
			1614	0.020		
			1615	0.080		
			1617	0.040		
			1620	0.050		
			1622	0.100		
			1623	0.070		
			1672	0.020		
			1680/3	0.040		
			1693/2	0.160		
			1694	0.070		
			1695/1	0.050		
			1695/2	0.050		
			1697	0.090		
		योग	**20**	**1.320**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/268/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	धनेली	302/4	0.801	अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)	विधान सभा रोड से टेकारी धनेली मार्ग का 6 लेन में निर्माण कि.मी 8/6 से 18/2-9.50 कि.मी. मार्ग निर्माण हेतु.
			311/1, 311/2	0.272		
			312	0.514		
		योग	**03**	**1.587**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/269/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कुंरा प.ह.नं. 89/03	55	0.020	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.)	धरसींवा - कुंरा - पण्डरभट्ठा - खैरखुंट-सुंगेरा - लखना-भूमिया मार्ग चौड़ीकरण हेतु.
			56/1	0.006		
			56/2	0.004		
			57/2	0.006		
			53/2	0.006		
			73/1, 73/2, 73/4, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10	0.243		
			73/3, 73/5, 73/6, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20	0.121		
			80/1	0.101		
			80/3	0.133		
			93/1	0.024		
			93/2	0.220		
			95/1, 95/2	0.153		
			97/1	0.194		
			96	0.052		
			247/1	0.032		
			247/4	0.020		
			247/7	0.024		
			248/3, 249/1	0.048		
			248/1, 249/2	0.024		
			250/3	0.008		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			251/2	0.020		
			251/5	0.004		
			251/6	0.008		
			251/7	0.010		
			252/1	0.012		
			252/2	0.016		
			1530/2, 153/2	0.056		
			1530/3, 153/3	0.008		
			98/1	0.032		
			254/3	0.028		
			253/2, 254/2	0.016		
			253/1, 254/1	0.064		
			1459/1	0.024		
			1459/2, 1459/3, 1459/4	0.028		
			1477/1	0.020		
			1477/2	0.060		
			1520/1, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/5	0.056		
			1518	0.032		
			1517	0.112		
			1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4	0.040		
			1523/37	0.048		
			1523/1	0.040		
			1523/32	0.016		
		योग	**48**	**2.189**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक/1101/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मगरधोखरा, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19	0.101
79/2	0.012

	(1)	(2)
	81	0.166
योग	3	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बनियाटोला-मगरधोखरा मार्ग पर स्थित झूरा नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक/1102/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-नादिया, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	455	0.077
योग	1	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नांदिया-बरारमुण्डी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक 391/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-सूरजपुर/2015.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सूरजपुर निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पालिका परिषद् सूरजपुर में दिनांक 27-03-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

सूरजपुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

सूरजपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पतरापारा, पर्री, डुमरिया, नमदगिरी, सरस्वतीपुर, गिरवरगंज एवं नयनपुर की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम नयनपुर, पचिरा एवं बेलटिकरी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बेलटिकरी, लांची, देवीपुर एवं पंपापुर की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम पंपापुर, चन्द्रपुर एवं पतरापारा की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 391/T & CP/Ambikapur/DP-Surajpur/2015.— Notice is hereby given that the existing land use map for Surajpur planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 27-03-2015 during office hours in the offices of the Collector District Surajpur, Office of the Assistant Director, Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Palika parishad Surajpur District Surajpur.

The limit of Surajpur Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Surajpur Planning Area

NORTH : Village Patrapara, Parri, Dumaria, Namadgiri, Saraswatipur, Girwarganj and upto the Northern limit of Nayanpur.

EAST : Village Nayanpur, Pachira and upto the Eastern limit of Beltikari.

SOUTH : Village Beltikari, Lanchi, Devipur and upto the Southern limit of Pampapur.

WEST : Village Pampapur, Chandarpur and upto the Western limit of Patrapara.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette"

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh Raipur Chhattisgarh.

विमल कुमार बगवैया,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 24 मार्च 2015

क्रमांक 4363/नग्रानि/दुर्ग/वि.यो. साजा/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि साजा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति प्रदर्शनी स्थल-कार्यालय नगर पंचायत साजा, कार्यालय कलेक्टर, जिला-बेमेतरा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा जिला बेमेतरा, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्टर परिसर दुर्ग में दिनांक 27-03-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

साजा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

साजा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम जाता, कजरा एवं डोंगीतराई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम डोंगीतराई एवं साजा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम डोंगीतराई एवं साजा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम साजा एवं जाता ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

प्रदर्शनी स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत, साजा जिला बेमेतरा.

No. 4363/T & CP/Durg/DP-Saja/2015.— Notice is hereby given that the existing land use map and register for Saja planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 27-03-2015 during office hours at the exhibition place-Nagar Panchayat Office Saja, Office of the Collector District Bemetara, Office of the Sub-divisional Officer (revenue) Saja District Bemetara, Office of the Joint Director Town and Country Planning Collector Campus, Durg.

The limit of Saja Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Saja Planning Area

NORTH : Village Jata, Kajara and upto Northern boundary of Village Dongitarai.

EAST : Village Dongitarai and upto Eastern boundary of Village Saja.

SOUTH : Village Dongitarai and upto Southern boundary of Village Saja.

WEST : Village Saja and upto Western boundary of Village Jata.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to the above mentioned places, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Joint Director, Town and Country Planning, Durg Chhattisgarh.

1. **Exhibition Place :—** Nagar Panchayat Office, Saja Distt.-Bemetara.

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्रमांक 878.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पेण्डरा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं, उसकी प्रति नगर पालिका परिषद् पेण्डरा के कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पेण्डरा, जिला-बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 28-02-2015 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम पतगवां, बन्धा तथा बचरवार के उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बचरवार, पेण्डरा के पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम पेण्डरा के दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम पेण्डरा तथा पतगवां के पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :— 1. कार्यालय नगर पालिका परिषद् पेण्डरा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No. 878.— Notice is hereby given that the existing land use map for the Pendra planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 28-02-2015 in the Office of the Nagar Palika Parishad Pendra, Office of the S.D.O. (Revenue) Pendra, District-Bilaspur and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during Office hours of working days. The limits of Bilaspur Planning Area are detailed in Schedule given below :—

SCHEDULE

Bilaspur Planning Area limits

NORTH : Village Patgava, Bandha and upto the North limit of Bacharwar.

WEST : Village Bacharwar and upto the West limit of Pendra.

SOUTH : Village Pendra and upto the North limit.

EAST : Village Pendra and upto the East limit of Patgava.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site— 1. Office of the Nagar Palika Parishad Pendra, District Bilaspur (C.G.)
2. Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2015

क्रमांक 882.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोटा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं, उसकी प्रति नगर पालिका परिषद् कोटा के कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा, जिला-बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 05-03-2015 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम लालपुर, कोटा एवं अमाली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम अमाली, अमरमरा, जोगीपुर एवं छेरकाबांधा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम छेरकाबंद, खुरदुर, कलारतलाई, पीपरतराई एवं अमने ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम अमने, चंगोरी, गोबरीपाट, कुंवारीगुड़ा एवं लालपुर की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :— 1. कार्यालय नगर पालिका परिषद् कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No. 882.— Notice is hereby given that the existing land use maps for the Kota Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 28-02-2015 in the Office of the Nagar Palika Parishad Kota, Office of the S.D.O. (Revenue) Kota, District-Bilaspur and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during Office hours of working days. The limits of Bilaspur Planning Area are detailed in Schedule given below :—

SCHEDULE

Bilaspur Planning Area limits

NORTH : Village Lalpur, Kota and Aamali and upto the North limit of Bacharwar.

EAST : Village Aamali, Amarmara, Jogipur, Cherkabandha and upto the East limit of Pendra.

SOUTH : Village Cherkabandha, Khurdur, Kalar Tarai, Peepar Tarai, Amne and upto the South limit.

WEST : Village Amne, Changori, Gobripat, Kunwariguda, Lalpur and upto the west limit of Patgava.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site— 1. Office of the Nagar Palika Parishad Kota, District Bilaspur (C.G.)
2. Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 10 मार्च 2015

क्रमांक/231/व.भू.उ.प्र./नग्रानि/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दीपिका निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक प्रति कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, कार्यालय नगर पालिका परिषद् दीपिका एवं कार्यालय, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय नया आर.टी.ओ. आफिस के पास रामपुर, कोरबा (छ.ग.) में दिनांक 23-03-2015 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में : ग्राम तिवरता, बतारी, देवगांव, चाकामुंडा, बुदेली, देवरी एवं कोरई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कोरई, ढुरेना, जुनाडीह, बिझरा, बरेली, मलगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मलगांव, सुआभोड़ी एवं चेनपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम चेनपुर, नवापारा, सिरकी एवं तिवरता ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय नया आर.टी.ओ. ऑफिस के पास रामपुर जिला कोरबा, को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :— 1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
2. कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् दीपिका, जिला कोरबा (छ.ग.)
3. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय नया आर.टी.ओ. ऑफिस के पास रामपुर कोरबा (छ.ग.)

No./231/व.भू.उ.प्र./नग्रानि/2015.— Notice is hereby given that the existing land use maps for the Deepika Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 23-03-2015 during office hour's of working day's in the office of the SDO (Revenue) Katghora, Office of the Nagar Palika Parishad Deepika and Office of the Deputy Director Town and Country Planning Near New R.T.O. Office Rampur Korba, during office hours of working days. The limits of Deepika Planning Area are detailed in schedule given below :—

SCHEDULE

NORTH : Village Tivarta, Batari, Devgao, Chakamuda, Budeli, Devri and Korai and upto the North limit.

EAST : Village Korai, Dhurena, Junadihh, Bijhra, Bareli, Malgao and upto the East limit.

SOUTH : Village Malgao, Suabhodi and Chenpur and upto the South limit.

WEST : Village Chenpur, Navapara, Sirki and Tivarta and upto the West limit.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Near New R.T.O. Office Rampur Korba (C.G.), within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site— 1. Office of the SDO (Revenue) Katghora, District Korba (C.G.)
2. Office of the Nagar Palika Parishad Deepika, District Korba (C.G.)
3. Office of the Deputy Director Town & Country Planning Near New RTO Office Rampur Korba (C.G.).

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.